

अशोक कुमार

संयोजक
गोवर्धन मंच



सम्पर्क- मकान नं० 170 वार्ड
नं० 19 दूरदर्शन प्रसारण केंद्र,
देवपुरी, देवरिया के पूरब उत्तर,
जिला देवरिया उ०प्र०-274001
मो० 91 9125381528
9452022706
Email: ramrajya2012k@gmail.com

O/o C. R. Section (RTH)

Dairy No/2425/19/2017

Date 16/8/2017

इक्कीसवीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य

बौद्धिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्रांति का उद्घोष

(घरती के लोगों के चिन्तन व्यवहार दृष्टिकोण में परिवर्तन और मानवीय संवेदना की रक्षा तथा दुष्प्रवृत्तियों से महाभारत के मोर्चे का विस्तार)

पत्रांक To, मि.

1st Appellate Authority
(Under RTI Act 2005)
Ministry of Road Transport & Highways
Parivahan Vihag,
1, Sansad Marg, New Delhi
PIN 11 0001

दिनांक 12 अगस्त 2017



Appel
Part of up
with pre-ppes
16/8/2017

RTI sub. 1st Appeal under section 18, 19 of RTI Act 2005
I have send one RTI application to
President's rectt on 10-03-2017. This
include many informations including information
no 4, no 5 which relates to Ministry of Road
Transport & Highways.

- 1 - My This RTI application was forwarded to C.P.I.O. Ministry & Department of Road Transport & Highways Govt. on 12th April 2017 and 20 March 2017 on 7th April 2017 my This RTI application was forwarded to chief engineer (NH) Lucknow and chief engineer of road transport & Highways P.W.D. J.K. by ministry
- 2 - Again on 11-04-2017 my This RTI application was forwarded to Regional officer MORTH, Dehradun, Jatehar, Dehradun.
- 3 - I have received RTI reply from chief engineer (P.W.D.) (NH) Lucknow. on 6th May 2017

4. I have received RTI reply from C.P.I.U
NH, PWD. Dehradun on 01-05-2017

5. Also received one RTI reply from Ministry
Road Transport & Highways, Dehradun
on - 23 May 2017

6. Also receive one RTI reply from NH. PWD
Shimoga on - 01-06-2017

7. Abu receive RTI reply from NH, PWD, Ranohra
on 31-5-2017, PWD, NH Udaipur
reply dated 23-6-17, RTI reply from
NH, PWD Sultampur dated 31 May 2017,
NH, PWD Kampur RTI reply dated 29-06-17
RTI reply from NH, PWD Saharampur dated (letter) 12-07-17,
dated 17-06-2017, NH, PWD Dehra Dun
PWD Bhagatpore dated 05/06/2017

Now see RTI reply dated 01/06/2017 from
NH. PWD Shimoga as enclosed here!

- This reply includes
- 1) Design and Drawing are not approved
up till now, it can not be replied,
and fund allocated for various works and
for various items can not be replied
 - 2) Again this reply says This will be
executed by contractor, he will decide no of
labour, and expenditure on labour and items
purchase by supplier is work of contractor,
he will tell about this information
RTI supplier of raw materials
 - 3) Again this reply says
is not clear.
 - 4) Again this reply says Contract work
of NHSS has been allocated to
Mest Raj Shyama Construction and
Central Strategy Construction.

Income Tax will be deducted from Bill of contractors.

I have to say here. The above is incomplete and misleading information provided to me. Now under section 18 (1)(e), of RTI Act 2005, incomplete, misleading or false information can not be provided to me.

1) Tender is issued by NH, PWD for work, so design and drawing is also approved of department of NH/PWD.

2) When tender is issued by NH, PWD then the no of expected labours, and expected items purchase, and its supply are also ~~is~~ expected expenditure on various works, supply, one also (subject of tender (an expected date of each)).

3) information reg raw materials means rate of kulhar, 300 size kitti, kachhu, shilte etc. materials use for basicing etc.

4) No tally reg income tax collected by contractor fund up till now.

5) information reg expenditure on officers/ staff, office workers mean, PWD, NH officers, staff, workers will do their duty during construction of Highway, and so how much time they do their duty and what ~~is~~ how much amount expenditure on their salaries and other allowance during Highway construction.

Again see enclose RTI reply 23 May 2017. ~~But~~ This reply says as under

The informations regarding part (i), (ii), (iii), (iv) of information No 4 are on 400 pages, it needs 400 Rs for sending to me.

New sec section 7(6) of RTI Act 2005. This says as under:

Notwithstanding anything contained in sub section (5), The person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub section (1).

- New, Min of Road Transport & Highways Gu/ has received my RT application on 13 April, and 23 March 2017 for President's sect since President's sect has forwarded my RT application on 12-04-2017 and 20 March 2017. According cannot decision within Three day letter receiving accepted.

- Again, only 33 days are allowed in forwarding case to send RTI reply.

But here CPIO - min of Road Transport & Highways Jakhon Behradan send reply to me after Three months, so according RTI Act section 7(6) CPIO Jakhon, Behradan should send 400 pages RTI reply free of cost to me.

- Again see RTI reply 23-6-17 from Study Databook for information see He is not sending information but say go me to study this is again RTI Act 2005, no refine to send me information.

2. Now see RTI³ reply dated 31-5-2017

for NH, PWD Varanasi,

This says as under:
- Highway construction are according
MORTD and its specifications.
This means CPIO refuse to give
me information, New According section
18(b) of RTI Act 2005 when CPIO
refuse to send information, Appellate
Authority will order C.P.I.O to
send my information

So, it has passed more than 35 days
I have not received RTI reply from
C.P.I.O. Min of Road transport & Highways,
Vibhag, Sansad Marg, New Delhi,

So in this case please accept my
Pet Appeal under section 18 of RTI
Act 2005 and order C.P.I.O. Min of
Department of Road Transport & Highways
New Delhi ~~and order~~ C.P.I.O. to
send my information No 4, NIT
of my RTI application 10-03-2017
at my above address as soon possible.

In Prayer
for welfare
of citizen of
India

Atul Kumar
Address, email, mob.No
as above mentioned

N.B
enclose
list at next page

List of enclosure.

S. No.

Sub.
RTI application
10-07-2017

Page No

1.		—	1 to 5
2.	RTI reply from Prantant sect - may 01 - 2017	—	6, 7
3.	RTI reply from Road Transport	—	8, 9
4.	RTI reply Dehradun	—	10
5.	RTI reply for Lucknow		11
6.	RTI reply Jakhn Dehradun		12, 13
7.	RTI reply varanasi		14
8.	" " Srinagar Lahajabad		15
9.	" " Lucknow		16
10.	" " Paimala		17
11.	" " Saharanpur		18
12.	" " Kanpur		19
13.	" " Sultanpur		20
14.	" " Ghazipur		21
15.	" " "		22
16.	Advt Chas olhan		23
17.	Advt		24

Ashraf Kuma

Attachs (7) is
not attach
on by they
Tupneal Apply
Two letter
Advt

2127/आर.टी.आई./03/16-17
राष्ट्रपति सचिवालय
PRESIDENT'S SECRETARIAT

आर.टी.आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.
Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.
20 मार्च 2017

सेवा में,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (क्र.सं. 4-5)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

महोदय,
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री अशोक कुमार का दिनांक 10.03.2017 का आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2017 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र की एक प्रति आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।
2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

भवदीय

जे.जी.सुब्र
(जे. जी. सुब्रमणियन)
उपसचिव और के. लो. सू. अ.
दूरभाष: 011-23015321

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री अशोक कुमार

मकान नं. 170, वाई नं. 19

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र, देवपुरी

देवरिया के पूरब उत्तर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश-274001.

आपका पत्र संबंधित मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त अधिकारी से सीधे संपर्क करें। इस सचिवालय में तत्संबंधी उपलब्ध सूचना, यदि कोई हो, तो बाद में दी जाएगी।

जे.जी.सुब्र
उपसचिव और के. लो. सू. अ.

2127/आर.टी.आई./03/16-17
राष्ट्रपति सचिवालय
PRESIDENT'S SECRETARIAT
आर.टी.आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.
Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.

12 अप्रैल 2017

सेवा में,

श्री अशोक कुमार
मकान नं. 170, वाई नं. 19
दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र, देवपुरी, देवरिया के पूरब उत्तर,
जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश-274001.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपके दिनांक 10.03.2017 के आवेदन पत्र के संबंध में।

महोदय,

कृपया इस सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.03.2017 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके दिनांक 10.03.2017 के आवेदन पत्र के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि-

1-3. आपका दिनांक 15.02.2017 का ई-मेल प्रतिवेदन इस सचिवालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

4-5. आपके दिनांक 10.03.2017 के आवेदन पत्र की एक प्रति पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली को हस्तांतरित की जा चुकी है। अतः इस संबंध में आप सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली से सीधे संपर्क करें।

6. वांछित सूचना संबंधित राज्य सरकार से सीधे प्राप्त की जा सकती है क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/2/2008-आई. आर., दिनांक 12 जून 2008 के संदर्भ में इस भाग को निस्तारित किया जा रहा है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से असंतुष्ट हैं तो पुनरीक्षण हेतु इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर निम्न लिखित अधिकारी के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं- श्रीमति गायत्री आई. कुमार, अपर सचिव और सोशल सेक्रेटरी एवं अपीलीय प्राधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.

भवदीय

जे. जी. सुब्रमणियन

उपसचिव और के. लो. सू. अ.
दूरभाष: 011-23015321

6

F. No. RW/NH/12037/17/2013/UP/RTI/NH-2

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways

Transport Bhavan,
1, Parliament Street,
New Delhi - 110 001

Dated: 07.04.2017.

To:

- 1. The Chief Engineer (NH), Public Works Department, 96 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow (Uttar Pradesh)
- 2. The Chief Engineer (PWD, B&R- Jammu), State PWD, Govt. of J&K, Jammu.

Sub: Seeking information under RTI Act, 2005.

Sir,

Please find enclosed a copy of the RTI application with Regn. No. MORTH / R / 2017 / 00313 dated 07/04/2017 received from Shri Ashok Kumar, UP regarding the construction of NHs. This information is not directly available with this CPIO. Accordingly, this RTI is transferred to your office under Rule 6(3) of RTI Act, 2005 for providing information / reply directly to the RTI applicant in accordance with the provisions of RTI Act, 2005 related to your jurisdiction.

2. The name and address of the Appellate Authority is as under:

Shri A K Srivastava, Chief Engineer (P-2), M/o Road Transport & Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110 001.

Encl: as above

Yours faithfully,

(Signature)
(Sharma)

Superintending Engineer and de-facto PIO,
Tel. No. 011-23739026.

Copy to Shri Ashok Kumar, H. No. 170, Ward No. 19, Doordarshan Prasaran Kendra, Daspuri, Devriya ke Purab Uttar, Dist-Devriya, UP-274001 - You are requested to liaise with the aforementioned addressee for further information in the matter.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
कानपुर

16

दिनांक:- 29/06/17

पत्रांक- 718/24C

सेवा में

श्री अशोक कुमार,
हाउस नं0 170, वार्ड नं0 19
दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र
देवपुरी, देवरिया के पूरब
उ0प्र0, देवरिया उ0प्र0
पिन-274001

विषय: जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका रजिस्ट्रेशन सं0 MORTH/R/2017/00313 dt. 07.04.2017

महोदय,

आपके द्वारा माँगी गयी आख्या इस खण्ड से सम्बन्धित नहीं है।

अतः बिन्दु सं0 1 से 6 तक आख्या शून्य।

29/06/17
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर

दिनांक:-

पत्रांक:-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता (रा0मा0) लो0नि0वि0 लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर के पत्रांक 10488/3C- NHCK/17 dt. 13.06.2017 के क्रम में।
3. सहायक अभियन्ता (प्रथम)/जनसूचना लिपिक, रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर

20

पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो.नि.वि., सहारनपुर

पत्रांक 819 / RTI

दिनांक 12-7-17

सेवा में,

श्री अशोक कुमार,
मकान-170, बार्ड नं० 18,
दूरदर्शन प्रसारण केंद्र,
देवपुरी, देवरिया के पुरब उत्तर,
जिला देवरिया, 8040-274001।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

- संदर्भ-
1. आपका और लाईन रजिस्ट्रेशन सं० MORTH/R/2017/00313 Date 07.04.2017।
 2. अधीक्षण अभियन्ता, 28वां वृत्त (रा.मा.), लो.नि.वि., बरेली का पत्रांक 1803/जसू-380-28/17, दिनांक 15.05.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित पत्र के क्रम में चाही गयी सूचना विन्दुवार निम्न प्रकार है-

- विन्दु-1 : इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
- विन्दु-2 : इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
- विन्दु-3 : इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
- विन्दु-4 : (1) (i) (ix) एवं (2) (i) (iv) एक इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। लुकि इस कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग (इस कार्यालय के अधीनस्थ) का अनुसंधान एवं रख-रखाव का कार्य किया जाता है।
- विन्दु-5 : (i) ... (ii) इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
- विन्दु-6 : इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

CLB

(शोभा सिंह)
अधिशासी अभियन्ता/जनसूचना अधिकारी
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो.नि.वि.,
सहारनपुर।

पत्रांक व दिनांक - उद्धृत
प्रतिक्रिया-

1. अधीक्षण अभियन्ता, 28वां वृत्त (रा.मा.), लो.नि.वि., बरेली को उक्त सम्बन्धित पत्र के क्रम में सूचनाएं प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता/जनसूचना अधिकारी
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो.नि.वि.,
सहारनपुर।

21



कार्यालय लोक सूचना अधिकारी
अधिशाली अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग, डोईवाला (देहरादून)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, N.H. P.W.D., Doiwala

पंजीकृत
Phone & Fax- 01352695884



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eenhdoiwala@rediffmail.com

पत्रांक- 551/7mg
सेवा में

दिनांक 17/06/2017

श्री अशोक कुमार
हाउस नं0-170 वार्ड नं0-19
दूरदर्शन प्रसारण ब्लॉक देवपुरी देवरिया के पूरब
जिला-देवरिया उत्तर प्रदेश 274001

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक में अवगत कराना है कि आप द्वारा जो उल्लेखित सूचना इस खण्ड से सम्बन्धित नहीं है इस खण्ड में प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस खण्ड से सम्बन्धित सूचना शून्य है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

इस सूचना से सन्तुष्ट न होने पर अपील अधिकारी के यहाँ अपील दायर की जा सकती है। जिलका नाम व पता निम्न है-

(श्री0 महिपाल सिंह रावल)
अपीलीय अधिकारी/अधिकारी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 डोईवाला (देहरादून)।


(श्री0 सुरेश सिंह)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, डोईवाला (देहरादून)

प्रतिलिपि- 1 लोक सूचना अधिकारी /अधीक्षण अभियन्ता 10वीं रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून को उनके पत्र संख्या 1122/79
वाला0-रा0मा0-10/2017 दिनांक 11.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- 2 सहायक लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु (गा0से0)
लो0नि0वि0 देहरादून को उनके पत्र सं0 1385/73 रा0मा0-स0अ0 (30)/2016-17 दिनांक-05.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता,
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, डोईवाला (देहरादून)

18

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु

प्रारूप

दिनांक 05/06/17

पत्र संख्या 1209/30mg

प्रेषक,

जनसूचना अधिकारी,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
गाजियाबाद।

सेवा में,

अशोक कुमार,
मकान नं0 170 वाई न0-19 दूरदर्शन।
प्रसारण केन्द्र देवरिया उ0प्र0।
पिन नं0 274001।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आपके पत्र का रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.04.2017 जोकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को सम्बोधित था एवं अधीक्षण अभियन्ता, 28वां वृत्त (रा0मा0), लो0नि0वि0, बरेली के माध्यम से पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

बिन्दु सं0- एक से तीन तक इस खण्ड से संबंधित नहीं है। अतः आख्या शून्य है।

बिन्दु सं0- चार के अन्तर्गत मांगी गयी अन्य बिन्दुओं के क्रम में अवगत कराना है। इस खण्ड के अन्तर्गत कोई भी नव निर्माण का कार्य नहीं किया जाता है, केवल खण्ड के अधीन राष्ट्रीय मार्गों के रख रखाव का कार्य किया जाता है। अतः इस खण्ड की आख्या शून्य है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :

अधीक्षण अभियन्ता, 28वां वृत्त (रा0मा0), लो0नि0वि0, बरेली।

भवदीय,

8/6

जनसूचना अधिकारी,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, गाजियाबाद।

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (रा0मा0), 96 महात्मा गांधी मार्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रांक 328एन0एच0सी0जी0/90एन0/2017 दिनांक 08.05.2017 के क्रम में।
2. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता एवं डैजिनेटिड ऑफीसर (de facto PIO), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्रांक RW/NH-12037/17/2013/UP/RTI/NH-II दिनांक 07.04.2017 के क्रम में।
3. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, 28वां वृत्त (रा0मा0), लो0नि0वि0, बरेली को उनके कार्यालय पत्रांक 1803/ज0सू0अ0-28/17 दिनांक 15.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रि0), रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, गाजियाबाद को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में प्रेषित।

जनसूचना अधिकारी,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, गाजियाबाद।



लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर



Email eenhSrinagar@gmail.Com

phone/Fax No- 01346-25071

पत्रांक
सेवा में

447 / 3 एम0जी0

दिनांक 01/06/2017

श्री अशोक कुमार,
हाउस नं0 - 170 वार्ड नं0 - 19,
दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र,
देवपुरी, देवरिया के पूरब उत्तर,
जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश।

- विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अतिक्रमण सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ:- अधीक्षण अभियन्ता, 10 वां रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0, का पत्रांक 1122/79 यात0 रा0 मार्ग-10/2017 दि० 11.05.2017।
- महोदय,

आपके द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है-

1. बिन्दु 01, 02, 03 एवं 06 की सूचना खण्ड में उपलब्ध नहीं है। अतः सूचना शून्य है।
2. बिन्दु सं0 04 एवं 05 की सूचना- इस खण्ड के अन्तर्गत रा0मा0 सं0 58 पर किमी0 235 से किमी0 338 तक 103 किमी0 लम्बाई में तीन कार्य स्वीकृत हुए हैं। जिनकी लागत रू0 471.53 करोड़ हैं। उक्त कार्यों का डिजाइन एवं ड्राईंग अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। अतः किस किस मद में कितना कार्य होना है एवं कितना सामान लगना है, डिजाइन फाइनल होने के उपरान्त ही ज्ञात हो पायेगा। उक्त कार्य ई0पी0सी0 मोड में स्वीकृत है, तथा कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाना है। अतः उक्त कार्य में कितने मजदूर लगेंगे तथा उन पर कितना व्यय होगा इसकी जानकारी खण्ड में उपलब्ध नहीं है, सामान किस सप्लायर से एवं किस दर से खरीदना है यह कार्य ठेकेदार का है। आपके द्वारा कच्चे सामान की नांगी गयी सूचना स्पष्ट नहीं है। रा0मा0 सं0 58 पर मे0 राजश्यामा कन्सट्रक्शन एवं मे0 सेन्द्राड्रोसट्राय कन्सट्रक्शन कम्पनी को मिला है। इनकम टैक्स ठेकेदार के बिल से काटा जायेगा। सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों पर होने वाला व्यय स्पष्ट नहीं है। आपके द्वारा लिखे गये सूचना पत्र की लिखावट कई स्थानों पर अपठनीय है। पठनीय प्रति उपलब्ध होने के उपरान्त सूचना दी जायेगी।

(ई0 कपिल कुमार)
लोक सूचना अधिकारी,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर

पत्रांक

/3 एम0जी0

दिनांक

- प्रतिलिपि :- 1- कार्यालय लोक सूचना अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, 10 वां रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, श्रीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

(ई0 कपिल कुमार)
लोक सूचना अधिकारी,
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रीनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा.मा. खण्ड नं.-1, लो.नि.वि.,
वाराणसी ।

पत्रांक- 15/23C / AG-f
सेवा में,

दिनांक- 31.5.17

श्री अशोक कुमार,
मकान नं०-170 वार्ड नं०-19,
दूरदर्शन प्रसारण केंद्र,
देवरिया-274001.

विषय:- जनसूचना अधिकार-2005 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना के संबंध में ।
संदर्भ:- आपका रजिस्ट्रेशन पत्र दिनांक 25.04.2016, मुख्य अभियन्ता, (रा.मा.) लो.नि.वि., लखनऊ के पत्रांक-328एन.एच.सी.जी./98एन./2017 दि.08.05.17 एवं अधीक्षण अभियन्ता, 18वाँ वृत्त, (रा.मा.), लो.नि.वि., इलाहाबाद के पृष्ठांकित पत्रांक-624/117कामबी-18/17 दि. 17.05.17.

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मार्ग का निर्माण MORT&H के विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाता है ।
सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

अधिशासी अभियन्ता,
रा.मा.खण्ड नं.-1, लो.नि.वि.,
31.05.17 वाराणसी ।
दिनांक

पत्रांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. मुख्य अभियन्ता, रा.मा., लो.नि.वि., लखनऊ के पत्रांक-328एन.एच.सी.जी./98एन./2017 दि.08.05.17 के क्रम में ।
 2. अधीक्षण अभियन्ता, 18वाँ वृत्त, (रा.मा.), लो.नि.वि., इलाहाबाद के पत्रांक-624/117कामबी-18/17 दि. 17.05.17 के क्रम में ।

अधिशासी अभियन्ता,
रा.मा.खण्ड नं.-1, लो.नि.वि.,
वाराणसी ।



22

No. RO/UK/RTI/01

Dated: May 01, 2017

To,

✓ The Chief Engineer (NH)
PWD, Dehradun, Uttarakhand

2. The Chief Engineer
Project Shivalik
BRO, Rishikesh

Sub: - Application under the Right to Information Act, 2005- Shri Ashok Kumar plea reg.

Sir,

An application of Shri Ashok Kumar seeking information under RTI Act, 2005, is hereby transferred under section 6(3) of RTI Act 2005 with the request that the information sought by the applicant may be furnished directly to him under intimation to this office.

2. In case, it does not fall under your jurisdiction, it may please be further transferred to the public authority to which the subject matter is more closely connected under intimation to the applicant.

3. The name, designation, address and telephone number of the Appellate Authority is given below:

Shri A.K Srivastava
Ministry of Road Transport & Highways
Room no -220, Parivahan Bhawan,
1, Sansad Marg, New Delhi -110001
(Tel No.- 011-23710358)

Encl.: As above

Yours faithfully

(U C Katara)

Regional Officer cum PIO, MoRT&H
Dehradun

Copy to:

1. The Chief Engineer (P-2), Ministry of Road Transport & Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001-For information.
2. The Project Director, PIU, MoRTH, Dehradun- It is requested to furnish the information, sought by the applicant, to this office at earliest.
3. Shri Ashok Kumar ;H no. 170, Ward no.19, Doordarshan Prasaran Kendra, Devpuri, Devriya Ke Purab Uttar, Dist-Devriya, UP. Pin-274001

13

भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी,
40/1, कैनल रोड, जाखन
देहरादून-248 001.
(0135) - 2738657



SPEED POST 23
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Road Transport & Highways
Office of the Regional Officer,
46/1, Canal Road, Jakhan
Dehradun - 248 001.
(0135) - 2738657

No. RO/UK/RTI/01

Dated: May 23, 2017

सेवा में

✓ अशोक कुमार
मोबा-170, हाई नं० 19,
दूरदर्शन पर्यटन केंद्र,
दरभपुरी, देहरिया के पुराने उत्तर
जिला-देहरिया, उत्तर प्रदेश।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

आपके सूचना का अधिकार अधिनियम पत्रांक नं० MOTH/R/2017/00314 दिनांक 07.04.2017 का अवलोकन करे आपके द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से जारी गयी सूचना निम्नवत् है।

बिन्दु संख्या 04 के भाग-(i), (ii), (iii), (iv) की सूचना हेतु प्रावधान की प्रति जो कि 400 पन्नों की है, जिसकी छायाप्रति 2 लक्ष प्रति पृष्ठ के शुल्क के अनुसार 800.00 लक्ष के मुगताम उपरान्त इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

भाग (v) व (vi) से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

भाग (vii) इस कार्यालय की परियोजना इकाई में अभी निम्नलिखित ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है।

ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम
R.G. Buildwell Engineers Ltd.	राष्ट्रीय राजमार्ग-58 (कन्नड़प्रयाग से नाथा) पर Landslide Treatment का कार्य।

इसके अतिरिक्त की सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है एवं आपका आवेदन स्थानान्तरित कर दिया गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय से पत्रांक दिनांक 01.05.2017 के द्वारा सूचित किया जा चुका है।

इस सूचना के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी का नाम पता आदि का विवरण निम्न प्रकार है-

श्री ए०के० श्रीवास्तव
मुख्य अभियन्ता (पी-2), कमरा नं० 220
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
परिवहन भवन 1, संसद मार्ग
नई दिल्ली -110001

महोदय

रमेश कटारिया
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियन्ता (पी-2) मुख्य अभियन्ता (पी-2), कमरा नं० 220, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001.

12

24

अतिमहत्वपूर्ण / सूचना का
अधिकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग)
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०
निर्माण भवन, 96-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक:-328एन०एच०सी०जी०/१४ एन०/2017

दिनांक:- 8/5/17

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त/18/28वाँ वृत्त
लो०नि०वि०, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/बरेली।

विषय:-श्री अशोक कुमार देवरिया उ०प्र० द्वारा जन-सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ-आवेदक का रजिस्ट्रेशन सं० MORTH / R/2016/00313 दिनांक 07-04-2017 तथा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र सं०-आर०डब्लू०/ एन०एच० / 12037 /17/ 2013/यू०पी०/आर०टी०आई०/एनएच-II दिनांक 07.04.17।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण के संबन्ध में मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.04.17 एवं उसके साथ संलग्न आवेदक के रजिस्ट्रेशन पत्र दिनांक 25.04.16 की संलग्नको सहित संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रकरण में आवेदक के पत्र में उल्लिखित वांछित सूचनाएँ आपके अधीनस्थ खण्डों द्वारा दी जानी है। अतः जन-सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाएँ अपने अधीनस्थ खण्डों से प्राप्त कर ससमय आवेदक को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से मंत्रालय भारत सरकार एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(एस०के०गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (रा०मा०)
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक मार्ग विकास एवं विशेष सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 07.04.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री अशोक कुमार, मकान नं०-170 वार्ड नं०-19 दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र, देवरिया उ०प्र० पिन 274001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)
मुख्य अभियन्ता (रा०मा०)
लो०नि०वि०, लखनऊ
3/5/17

11



कार्यालय लोक सूचना अधिकारी
10वां रा0मा0वृत्त, लो0नि0वि0,
16/4 तेग बहादुर मार्ग देहरादून

25



Website-<http://pwd.uk.gov>

E-Mail-senhit@rediffmail.com
Phone/Fax No.0135-2672251

पत्रांक 1122/79याता0-रा0मार्ग-10/2017
सेवा में,

दिनांक:- 11 /05/2017

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0,
रुड़की/बडकोट/धुमाकोट/श्रीनगर/डोईवाला/रुद्रप्रयाग।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।
महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार हाउस नं0-170 वार्ड नं0-19 दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र देवपुरी देवरिया के पूरब उत्तर, जिला- देवरिया उत्तर प्रदेश 274001 का अनुरोध पत्र दिनांक 05.04.2017 इस कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त हुआ है। श्री अशोक कुमार का अनुरोध पत्र दिनांक 7.4.2017 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना जो आपसे सम्बन्धित हो आपके स्तर से दी जानी है।

अतः अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना समयान्तर्गत अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुये तदनुसार इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

(ई राजेश चन्द्र शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता रा0मा0 एवं सेतु ग0वे0 लो0नि0वि0, देहरादून को उनके पत्रांक 1385/73रा0मा0-30/2017 दिनांक 5.5.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि श्री अशोक कुमार हाउस नं0-170 वार्ड नं0-19 दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र देवपुरी देवरिया के पूरब उत्तर, जिला- देवरिया उत्तर प्रदेश 274001 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचना दिये जाने हेतु प्रकरण सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है, तदनुसार सूचना प्राप्त करने का कष्ट करें।

(ई राजेश चन्द्र शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता

10